

सवाल (1)देव बन्दी पेशवाओं के वह कौन से अकीदे हैं |जिन्हें जान लेने के बाद उन को मुसलमान समझने वाला और देव बन्दी फिरका को हक मानने वाला काफिर हो कर इस्लाम से खारिज हो जाता है ?

जवाब:(1)देव बन्दियों के पेशवाओं मोलवी थानवी का अकीदा यह है |कि जैसा इल्म हुजूर सल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हासिल है,ऐसा इल्म तो बच्चों, पागलों और जानवरों को भी है। जैसे कि उन्होंने ने हुजूर सल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए कुल इल्मे ग़ैब का इन्कार करते हुए सिर्फ बअज़ इल्मे ग़ैब को साबित किया फिर बअज़ इल्मे ग़ैब के बारे में यूं लिखा है कि:

“ इस में हुजूर की किया तख़सीस है ऐसा इल्म तो ज़ैद व उमरु बल्कि हर सिब्बी व मजनूं बल्कि जमीअ हैवानात व बहायम के लिए भी हासिल है।(हिफ़जुल ईमान) नोट: नए एडीशन में यह इबारत कुछ बदल दी गई है लेकिन सारे देवबन्दी इस पुरानी इबारत को सही मानते हैं}

और देवबन्दियों के पेशवा मोलवी कासिम नानोतवी जिन को दारुलउलूम देवबन्द का बानी कहा जाता है,उन का अकीदा यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरुल अम्बिया नहीं हैं आप के बाद दूसरा नबी हो सकता है। जैसा कि उन्होंने ने लिखा है कि: “ अ़वाम के ख़्याल में तो रसूलुल्लाह का खातिम होना बाई मअना है कि आप का ज़माना अम्बियाए साबिक के ज़माने के बाद और सब में आखिरी नबी हैं मगर अहले फहम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम या तअख़्खुर ज़मानी में बिज़्ज़ात कुछ फज़ीलत नहीं (तख़दीरुन्नास सफा 3)

इस इबारत का खुलासा यह है कि खातमन्निबिय्यीन का यह मतलब समझना कि आप सब में आखिरी नबी हैं यह ना समझ और गंवारों का ख़्याल है और आगे फिर यूं लिखा कि : “ अगर बिलफर्ज बअद ज़मानए नबवी सल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम

कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खामिमिय्यते मुहम्मदी मे कुछ फर्क न आएगा" (तखदीरुन्नास सफा 28)

इस इबारत का खुलासा यह है कि हुजूर सल्लाहु तअ़ाला अ़लैहि वसल्लम के बाद दूसरा नबी पैदा हो सकता है।
अल्अयाजुबिल्लाहि तअ़ाला

और देवबन्दियों के पेशवा मोलवी रशीद अहमद गगोही व मोलवी ख़लील अहमद अम्बेठवी का अ़कीदा यह है कि शैतान व मलकलमौत के इल्म से हुजूर सल्लाहु तअ़ाला अ़लैहि वसल्लम का इल्म कम है। जो शख़्स शैतान व मलकलमौत के लिए वसीअ़ इल्म माने वह मोमिन मुसलमान है लेकिन हुजूर सल्लाहु तअ़ाला अ़लैहि वसल्लम के इल्म को चसीअ़ और ज़ायद मानने वाला मुशिरक़ व बे ईमान है जैसा कि उन्होंने ने लिखा है कि

" शैतान व मलकलमौत को यह वुसअ़त नस से साबित हुई फखरे आलम के वुसअ़त इल्म की कौन सी नस्से क़तई है जिस से तमाम नसूस को रद कर के एक शिर्क साबित करता है।
(बराहीने क़ातिआ सफा 51)

मज़कूरा बाला कुफरी अ़कीदों के इलावह देवबन्दी पेशवाओं के और भी बहुत से कुफरी अ़कीदे हैं।इसी लिए मक्का मुअ़ज्जमा,मदीना तय्यबा,हिन्दुस्तान,पाकिस्तान,बंगला,और बरमा वगैरा के सैकड़ों उलमाए किराम और मुफितयाने इज़ाम ने इन देवबन्दियों के काफिर व मुर्तद होने का फतवा दिया है और फरमाया है कि "मन शक्का फी कुफरिही व अ़ज़ाबिही फक़द कफर" यअ़नी जो उन के काफिर होने में शक करे वह भी काफिर है।

लिहाज़ा देवबन्दियों पेशवाओं के इन कुफरी अ़कीदों को जान लेने के बाद उन को मुसलमान समझने वाला और देवबन्दी फिरक़ा को हक़ मानने वाला काफिर हो कर इस्लाम से खारिज हो जाता है। तफ़सील के लिए मुलाहेज़ा हो "फतावा हिसामुल हरमैन" और "अस्सवारिमुल हिन्दिया"

“कबराए वहाबिया ने खुले खुले ज़रूरियाते दीन का इन्कार किया और तमाम वहाबिया उस में उन के मवाफिक़ या कम अज़ कम उन के हामी या उन्हें मुसलमान जानने वाले हैं और यह सब सरीह कुफ़ हैं तो अब वहाबिया में कोई ऐसा न रहा जिस की बिदअत कुफ़ से गिरी हुई हो ख़्वाह वह ग़ैर मुक़ल्लिद हो या बज़ाहिर मुक़ल्लिद” (फतावा रज्विय्या शरीफ़ सफा 28)

सवाल (2) वहाबी कहते हैं कि हदीस शरीफ़ में है कि अरब में काफिर नहीं होंगे और वहां वहाबियों की हुकूमत है तो मअलूम हुआ कि वह मुसलमान हैं लिहाज़ा अगर वहाबी काफिर हैं तो उन की इस बात का किया जवाब है?

जवाब (2) हदीस शरीफ़ में हरगिज़ नहीं है कि अरब काफिर नहीं होंगे बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया “ इन्नशैता न क़द ऐ स मिन इन यअबुदुहुल मुसल्लू न फी जज़ीरतिल अरब” यअनी शैतान इस अम्र से मायूस होगया है कि मुसल्ली (मोमिन) जज़ीरए अरब में उस की इबादत करें (यअनी बुत परस्ती में मुब्तला रहें) तर्जमा मिशकात मुतरजिम वहाबी मतबूआ किराची जिल्द अव्वल सफा 23) वहाबी के इस तरजमा से वाज़ेह हो गया कि शैतान की इबादत का मतलब है बुत परस्ती में मुब्तला रहना, यअनी जज़ीरए अरब के मुसलमान बुत परस्ती में मुब्तला रहें ऐसा न होगा।

और हज़रत शैख़ शैख़ अब्दुल हक़ मुहदिस देहलवी बुखारी अलैहिर्रहमतु वर्रिदवान तहरीर फरमाते हैं:

और शैतान की इबादत से बुतों की पूजा मुराद है और अगरचे कि मुस्लिमा के साथी और मानिईन ज़कात मुर्तद हुए लेकिन उन लोगों ने बुतों की पूजा नहीं की। (अशअतुल्लम्आत जिल्द अव्वल सफा 83)

वाज़ेह हो गया कि हुज़ूर सल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद का मतलब यह है कि ऐ अरब के मुसलमान अपने दी से फिर कर बुत परस्ती नहीं करेंगे। लिहाज़ा अरब के लोगों का किसी वक़्त मुर्तद हो जाना या उस पर किसी ज़माना में मुर्तदों की हुकूमत काइम हो जाना। हदीस शरीफ के खिलाफ नहीं जैसा कि हुज़ूर सल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ाहेरी ज़माना के फौरन बाद मुस्लिमा कज़़ाब, उस के मुत्तबेईन (इत्तेबाअ करने वाले) और ज़कात की फरज़ियत का इन्कार करने वाले अरब ही में मुर्तद हुए ।

और मुर्तद अबू ताहिर क़रम्टी का 320 हिजरी में मक्का मुअज़्ज़ेमा पर ग़ल्बा हुआ और वह ऐसा मुर्तद था कि मस्जिदे हराम के मिम्बर पर खड़ा होआ और कहा " इन्ना बिल्लाहि व बिल्लाहि अना अख़लुक़ल ख़ल्क़ व अफनीहिम अना" यअनी मैं खुदा की क़सम— खुदा की क़सम मैं मख़लूक़ को पैदा भी करता हूं और उन को फना भी करता हूं। (हुज्जल्लाहि अलल आलमीन जिल्द दोम सफा 829) और 654 हिजरी में मदीना शरीफ और मस्जिदे नबवी पर राफिज़ियों (यअनी शिष्यों) का क़ब्ज़ा था। काजिए शहर और मस्जिदे नबवी के इमाम व खतीब सब राफेज़ी थे। (वफाउल वफा जिल्द अब्वल सफा 429)

साबित हुआ कि पहले ज़माने में भी अरब में मुर्तद हुए हैं और वहां उन की हुकूमत भी काइम रही, लिहाज़ा अरब में वहाबियों की हुकूमत होने से उन का मुसलमान होना साबित नहीं।

सवाल (3) इस वक़्त हिन्दुस्तान में कौन कौन से गुमराह फिरक़े मौजूद हैं उन के अक़ीदे मुख़तसर तहरीर फरमाएं ?

जवाब (3) हिन्दुस्तान में बहुत से गुमराह फिरक़े हैं, जिन में से चन्द यह हैं।

कादयानी : यह फिरक़ा मिरज़ा गुलाम अहमद कादयानी का पैरु है। जिस ने अपने नबी होने का दावा किया और अपनी किताब

इज़ाला औहाम के सफे 688 में लिखा है कि " हज़रत रसूले खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्हाम व वही ग़लत निकली थीं " और इसी किताब के सफा 26,28,पर लिखा है कि: " कुरआन शरीफ में गन्दी गालियां भरी हैं" और अपनी किताब बराहीने अहमदिया की निस्बत इसी किताब "इज़ालए औहाम " के सफा 533 पर लिखा है कि बराहीने अहमदिया खुदा का कलाम है उन के इलावह और भी कुफरी अक़ीदे हैं।। जिन की तफसील फतावा रज़िव्या और बहारे शरीअत वग़ैरह में है।

राफज़ी : यह फिरका अपने आप को शिष्या कहता है उस का एक अक़ीदा यह है कि कुरआन मजीद महफूज़ नहीं बल्कि उस में से कुछ पारे या सूरतें या आयतें या अल्फाज़ सहाबा ने निकाल दिए।और एक अक़ीदा यह है कि अइम्मए अतहार रदियल्लाहु तआला अन्हुम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से अफज़ल हैं और यह बिल इज्माअ कुफ़ है । और अफज़लुल बशर बअदल अम्बिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़,हज़रत उमर फारुक़ अअज़म,हज़रत उस्मान ग़नी और बहुत से सहाबए किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन को यह बिरोह मआज़ल्लाह काफिर व मुनाफिक़ क़रार देता है। उन्हें बरा भला कहता है। और खुल्लम खुल्ला गालियां देता है उन के अक़ाएद की तफसील के लिए हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहदिस देहलवी अलैहिर्रहमतु वर्रिदवान की लिखी हुई किताब" तोहफए असनाए अशरियअ " देखना चाहिए।

वहाबी देवबन्दी :उन के कुफरी अक़ीदे जवाब नम्बर (1) बयान किए गए

।

वहाबी ग़ैर मुक़ल्लिद :यह फिरका अपने आप को अहले हदीस कहता है। उस का अक़ीदा है कि अम्बिया और औलिया अल्लाह तआला की शान के सामने चमार से भी ज़्यादा ज़लील हैं

यअनी चमार की भी कुछ न कुछ थोड़ी बहुत इज़्ज़त अल्लाह की शान के आगे है लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु तअ़ाला अ़लैहि वसल्लम और दूसरे अम्बिया औलिया की शान के आगे इतनी भी इज़्ज़त व वक़अत नहीं जितनी कि एक चमार की इज़्ज़त व वक़अत है जैसा कि इस फिरक़े के पेशवा मोलवी इस्माईल देहलवी अपनी किताब " तक़विय्यतुल ईमान" में लिखते हैं : " हर मखलूक़ बड़ा हो या छोटा वह अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज़्यादा ज़लील है।"

(तक़विय्यतुल ईमान, मतबूआ क़य्यूमी कानपूर, सफा 10) इसी तरह बहुत से कुफरी अ़कीदे हैं तफसील के लिए मुलाहिज़ा हो किताब " अतयबुल बयान रद्द तक़विय्यतुल ईमान"

इस नाम निहाद अहलेहदीस का एक अ़कीदा यह भी है कि हज़रत ग़ौसे अज़म शैख अब्दुल कादिर जीलानी, हज़रत ख़्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी, हज़रत कुतबुद्दीन बख़्तियार काकी, हज़रत फरीदुद्दीन गन्ज शकर, हज़रत महबूबे इलाही निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत मख़दूम अशरफ जहांगीर सिम्नानी, और हज़रत मख़दूम माहेमी, वगैरह सारे बुज़रुगाने दीन गुमराह व इद मज़हब थे। इस लिए कि यह सब के सब मुक़ल्लिद थे और किसी इमाम की तक़लीद इस फिरक़े के नज़दीक गुमराही व बद मज़हबी है।

तब्लीगी जमाअत: इस गिरोह के भी सारे अ़कीदे वही है जो वहाबियों देवबन्दियों के हैं जैसा कि तब्लीगी जमाअत के बानी मोलवी मुहम्मद इलयास ने खुद कहा कि हज़रत मौलाना थानवी र: ने बहुत बड़ा काम किया है। बस मेरा दिल चाहता है कि तअ़लीम तो उन की हो और तरीक़ए तब्लीग़ मेरा हो कि इस तरह उन की तअ़लीम आम हो जाएगी । (मलफूज़ाते मौलाना मुहम्मद इलयास)

यह लोग अज़ राहे फरेब अहले सुन्नत व जमाअत को अपना हम अकीदा बनाने के लिए सिर्फ कलमा व नमाज़ का नाम लेते हैं और जब कोई सुन्नी धोखे से उन की जमाअत में शामिल हो कर उन की ज़ाहेरी अज़माल का असर क़बूल कर लेता है तो फिर यह लोग आसानी के साथ उसे पक्का वहाबी देवबन्दी बना कर अल्लाह व रसूल की बारगाह का गुस्ताख़ बना लेते हैं।

मौदूदी जमाअत :यह गिरोह अपने आप को "जमाअते इस्लामी" कहलाता है। यह भी वहाबियों देवबन्दियों की एक शाख़ है यज़नी बुनयादी तौर पर दोनों एक हैं। उन के सारे कुफरी अकीदों से यह पूरे तौर इत्तेफाक़ रखते हैं। उस के इलावह इस जमाअत के बानी अबुल अज़ला मौदूदी ने अपनी किताब "परदह " सफ़ा 171 पर हुज़ूर सल्लल्लाहु तअ़ाला अ़लैहि वसल्लम को अरब का एक अनपढ़ चरवाहा लिखा है। (मअज़ल्लाह) और तफ़हीमात जिल्द दोम सफ़ा 281 में लिखा है कि जिना और कज़फ़ की शरई हद्द जारी करना बिला शब्हा जुल्म है। इस जुम्ला में मौदूदी ने अल्लाह तअ़ाला को ज़ालिम क़रार दिया है। और लोगों को कुरआन से नफरत दिलाई है।

और मौदूदी ने तमाम अम्बियाए किराम खुसूसन हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम, हज़रत दाउद अ़लैहिस्सलाम, और हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम, यहां तक कि सय्यदुल अम्बिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तअ़ाला अ़लैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख़ी व बे अदबी की है।

और तमाम सहाबए किराम खास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारुक़, हज़रत उस्मान ग़नी, और हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु तअ़ाला अ़न्हुम पर नुक्ता चीनी कर के उन की तौहीन की है। और राफिज़ियों को खुश करने

के लिए सहाबिए रसूल कातिबे वही हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात पर ऐसे इलज़ामात लगाए हैं। कि मुसलमान तो मुसलमान काफिर भी शरमा जाए। और उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आईशा सिद्दीका व हज़रत हफ़सा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा को ज़बान दराज़ करार दिया है उन की तफ़सीलात जानने के लिए किताब " जमाअते इस्लामी " तस्नीफ हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब किब्ला और किताब " दो भाई मौदूदी और खुमैनी " मुलाहेज़ा फरमाएं।

सवाल : (4) वहाबियों देवबन्दियों के पीछे नमाज़ पढ़े तो किया हुक्म है ?

जवाब : (4) वहाबी देव बन्दी चूंकि कुफरी अक़ीदा रखते हैं जैसा कि जवाब नम्बर (1) में गुज़रा। इस लिए उन के पीछे नमाज़ हरगिज़ नहीं होती। जो शख्स देवबन्दी इमाम के कुफरी अक़ीदा को जानते हुए किसी के दबाव या लेहाज़ में उस के पीछे उठक बैठक कर ली मगर नमाज़ की निय्यत नहीं की तो वह तौबा करे। और जो मुसलमान समझ कर उस के पीछे नमाज़ पढ़े |वह तौबा व तज्दीदे ईमान के साथ तज्दीदे निकाह भी करे। और जो न जानकारी में उस की इक्तेदा कर ले (यअनी उस के पीछे नमाज़ पढ़ ले) वह नमाज़ फिर से पढ़े और आइन्दा एहतियात से काम ले। (शरह अक़ाएद नस्फी सफा 160 में है।)

सवाल : (5) देवबन्दी की अज़ान व अक़ामत का क्या हुक्म है ?

जवाब : (5) बहारे शरीअत हिस्सा सोम सफा 31 में दुर्रे मुख़तार के हवाले से है कि फासिक अगरचे आलिम ही हो उस की अज़ान की इआदा किया जाए (यअनी फिर से अज़ान दी जाए) तो जब बेअमल की अज़ान दोबारा पढ़ने का हुक्म है तो देवबन्दी बद अक़ीदगी की अज़ान बदरजए औला दोबारा पढ़ी जाएगी । और अक़ामत कहने से भी उस को रोका जाएगा।

सवाल : (6) देवबन्दी अगर सफों के दरमयान (बीच) में खड़े हो जायें तो क्या हुक्म है ?

जवाब : (6) कुफरी अक्कीदा रखने वाले देवबन्दी की नमाज़ बातिल है तो जिस सफ के दरमयान में वह खड़ा हो शरीअत के नज़्दीक हक्कीक़त में इतनी जगह ख़ाली होती है जिस से क़तअ सफ होती है (यअनी सफ टूट जाती है) और सफ का टूटना हराम है। हदीस शरीफ में है कि – जो सफ को मिलाएगा अल्लाह उसे अपनी रहमत से मिलाएगा और जो सफ क़तअ करेगा अल्लाह उसे अपनी रहमत से जुदा करेगा।

(निसाई जिल्द 1, सफा 131, अबूदाउद जिल्द 1 सफा 97)

सवाल : (7) क्या देव बन्दी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ने से तज्दीद ईमान व निकाह ज़रूरी है ?

जवाब : (7) जो शख्स किसी के दबाव, लिहाज़ या चापलोसी में देव बन्दी के जनाज़ा की सफ में खड़ा हो जाए लेकिन नमाज़ की निय्यत न करे तो उस का तौबा करना ज़रूरी है। और जो मुसलमान समझ कर उस की नमाज़ जनाज़ा पढ़े उस पर तज्दीदे ईमान व निकाह ज़रूरी है।

सवाल : (8) क्या तब्लीगी जमाअत को मस्जिद में ठहरने और त़क़रीर करने की इजाज़त दी जा सकती है ?

जवाब : (8) तब्लीगी जमाअत वाले कलमा व नमाज़ के नाम पर मुसलमानों को गुमराह करते हैं। और उन को अल्लाह व रसूल की बारगाह का गुस्ताख़ बनाते हैं। इस लिए कि उन का भी अक्कीदा वही है जो देवबन्दी का है जैसा कि जवाब (3) के तहत गुज़रा, लिहाज़ा तब्लीगी जमाअत को मस्जिदों में ठहरे और त़क़रीर करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती है।

सवाल : (9) देव बन्दी से कुरबानी करवाना और उस का ज़बीहा खाना कैसा है ?

जवाब : (9) देव बन्दी चूंकि अपने कुफरी अक्कीदों के सबब मुसलमान नहीं जैसा कि जवाब नम्बर (1) में गुज़रा। इस लिए उस से कुरबानी करवाना हरगिज़ जाइज़ नहीं । अगर किसी ने करवाया तो उस की कुरबानी न हुई । और उसी सबब से उस का ज़बीहा (उस के हाथ का ज़बह किया हुआ) खाना हराम है।

(हिदाया अखरिथिन सफा 418)

सवाल : (10) देव बन्दी से निकाह पढ़वाना और उस के यहां शादी बियाह करना कैसा है ?

जवाब : (10) देव बन्दी से निकाह पढ़वाना हरगिज़ जाइज़ नहीं कि उस में एक तरह से उस की तअज़ीम है और बदमज़हब की तअज़ीम सख्त नाजाइज़ व हराम है। और कुफरी अक्कीदा रखने वाले देव बन्दी के यहां शादी बियाह करना हरगिज़ जाइज़ नहीं । अगर किया तो निकाह नहीं होगा जिना कारी होगी। फतावा आलमगीरी जिल्द अव्वल मतबूआ मिस्र सफा 263 में है – मुर्तदा का निकाह (चाहे वह देवबन्दी वहाबी हो या राफज़ी वगैरह) मुर्तदह , मुस्लिमा और काफिरा अस्लिया से जाइज़ नहीं । ऐसे ही मुर्तदा का निकाह किसी जाइज़ नहीं ऐसे ही मबसूत में है।

सवाल : (11) देवबन्दी को अच्छा समझने वाले और उस की हिमायत करने वाले के लिए किया हुक्म है ?

जवाब : (11) जो शख्स देवबन्दियों को अच्छा समझे और उन की हिमायत करे उसे देवबन्दियों के कुफरी अक्काएद से आगाह किया जाए। अगर वह इन कुफरियात पर मुत्तलअ (आगाह)हो कर हरमैन तय्यबैन के फतवा को हक माने और देवबन्दियों को मुसलमान न समझे तो वह अहले सुन्नत व जमाअत से है वरना वह भी उन्हीं के हुक्म में है। मुसलमान उस से दूर रहें ।

हदीस शरीफ में है कि बद मज़हब(देवबन्दी,वहाबी,कादियानी,राफज़ी,जमाअती) से दूर रहो और उन को अपने करीब न आने दो। कहीं वह मुम्हें गुमराह न कर दें। कहीं वह मुम्हें फितने में डाल दें (मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल सफा 10)

सवाल : (12) मस्जिद या मदरसा की तअमीर के लिए देवबन्दियों से चन्दा लेना या उन को चन्दा देना कैसा है ?

जवाब : (12) मस्जिद या मदरसा की तअमीर हो या जलसा जुलूस किसी काम के लिए देवबन्दियों से चन्दा लेना जाइज़ नहीं कि चन्दा लेने वाला चन्दा देने वाले का एहसान मन्द होता है। लिहाज़ा जब सुन्नी किसी देवबन्दी से चन्दा लेगा तो उस को सलाम करेगा या उस के सलाम का जवाब देगा, उस के साथ उठे बैठेगा, उस के यहां खाएगा पिएगा और उस की शादी व ग़मी में शरीक होगा और यह सारी बातें बद मज़हबों के साथ नाजाइज़ व हराम है हदीस शरीफ में है कि – बद मज़हब अगर बीमार पड़ें तो उन की इयादत न करो,अगर मर जायें तो उन के ज़नाज़ा में शरीक न हो, उन से मुलाक़ात हो तो उन्हें सलाम न करो, उन के पास न बैठो,उन के साथ पानी न पिय्यो, उन के साथ खाना न खाओ, उन के साथ शादी बियाह न करो, उन के जनाज़ा की नमाज़ न पढ़ो और उन के साथ नमाज़ न पढ़ो। (यह हदीस शरीफ अबू दाउद इब्ने माजा,अकीली और इब्ने हब्बान की रिवायात का मजमूआ है।)

सवाल : (13) उलमाए किराम को गालियां देना,आला हज़रत को बुरा भला कहना और हदीस शरीफ को रद्दी की टोकरी वाली कह कर इन्कार करना कैसा है ?

जवाब : (13) उलमाए किराम ही से इस्लाम की रोशनी बाकी है इसी लिए खुदाए तअ़ाला ने दुनिया व आखिरत में उन के लिए दरजात की बुलन्दी का वअ़दा फरमाया, जैसा कि कुरआन

मजीद में है " अल्लाह तआला तुम्हारे ईमान वालों को और जिन लोगों को इल्म दिया गया है खास कर उन के दरजे को बुलन्द फरमाएगा। (पारह 28, रुकू 2) लिहाज़ा उलमाए किराम को आलिम होने के सबब गाली देना कुफ़्र है बल्कि हज़रत की नज़र से अलिमा बसैगए तस्गीर "मोलविय्या" कहना भी कुफ़्र है।(शरह फिकह अक्बर 211)

और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहदिस बरैलवी अलैहिर्रहमतु वर्रिदवान चौदहवीं सदी के मुजद्दिदे अज़म हैं एक हज़ार से ज़ायद उन्हों ने किताबें लिखी हैं। मुवाफिक तो मुवाफिक " अबुल अज़ला मौदूदी " और अबुल हसन नदवी " वगैरह जैसे मुखालिफ़ीन ने भी उन की तज़रीफ़ व तहसीन की है और शैख़ सय्यद अलवी मालिकी काज़ियुल कज़ात मक्का मुकर्रमा ने फरमाया " आला हज़रत की मुहब्बत सुन्नी होने की वहवान है और उन की अदावत व दुशमनी बद मज़हब होने की अलामत है (इमाम अहमद रज़ा अरबाबे इल्म व दानिश की नज़र सफा 148)

लिहाज़ा जो आला हज़रत को बुरा भला कहता है,वह यकीनन गुमराह व बद मज़हब है। मुसलमान उस से दूर रहें और उस को अपने करीब न आने दें। और हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहकाम व इरशादात और कुरआन व इस्लाम की तशरीहात व तफसीलात के मजमूआ का नाम हदीस है कि उस के बगैर उन पर अमल मुम्किन ही नहीं। इसी लिए खुदाए तआला ने अपनी अताअत के साथ रसूल की फरमांबदारी का भी हुक्म फरमाया। कुरआन मजीद पारह 9 रुकूअ,17 में है ऐ ईमान वालो! अल्लाह और उस के रसूल की फरमांबरदारी करो और रसूल से मुंह न फेरो। कुरआन मजीद में इस तरह की बहुत सी आयतें हैं कि जिन में रसूल की फरमांबरदारी का हुक्म दिया गया है लिहाज़ा

हदीस का इन्कार करना,उसे रद्दी की टोकरी वाली करार देना रसूल की फरमांबरदारी से इन्कार करने और उन से मुंह फेरने के साथ हदीस शरीफ की तौहीन भी है। और यह कुफ्र है। जो शख्स ऐसी बकवास करता है मुसलमानों पर लाज़िम है कि उस का सख्त समाजी बाइकाट करें । उस के साथ खाना पीना,उठना,बैठना,और सलाम व कलाम सब बन्द कर दें। खुदाए तअ़ाला का इरशाद है। पारह 7 रुकू 14

सवाल : (14) क्या कलमा पढ़ने वाला भी काफिर हो जाता है ? कुरआन मजीद की आयतों के हवाले से जवाब तहरीर फरमाएं ?

जवाब : (14) हां कुफरी बात बकने के सबब कलमा पढ़ने वाला भी काफिर हो जाता है। इब्ने जरीर,तिब्रानी, अबुशशैख़,और इब्ने मर्दुविय्या रईसुल मुफरिसरीन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु तअ़ाला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि कुछ लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु तअ़ाला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का लफज़ बोले । हुजूर ने उन से मुतालेबा फरमाया तो उन लोगों ने क़सम खाई कि हम ने कोई कलमा हुजूर की शान में बे अदबी का नहीं कहा है उस पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई: कुरआन में पारह 10 रुकू 16 में अल्लाह तअ़ाला ने खुल्लम खुल्ला फरमाया " वह लोग मुसलमान थे और कलमा पढ़ने वाले थे लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी का लफज़ बोलने के सबब काफिर हो गए,मुसलमान नहीं रह गए।

और इब्ने अबी शेबा,इब्नुल मुन्ज़िर,इब्ने अबी हातिम,और अबुशशैख़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु तअ़ाला अन्हु के शागिर्द खास हज़रत इमाम मुजाहिद रदियल्लाहु तअ़ाला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तअ़ाला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स की गुमशुदा उंटनी के बारे में फरमाया कि फुलां जंगल में है। उस पर एक शख्स ने कहा

उन को ग़ैब की क्या ख़बर ? हुज़ूर सल्लल्लाहु तअ़ाला अ़लैहि वसल्लम ने उस शख़्स को बुला कर दरयाफ़्त फ़रमाया तो उस ने कहा हम तो ऐसे ही मज़ाक़ कर रहे थे उस पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई " और अगर तुम उन से पूछो तो बेशक वह ज़रूर कहेंगे कि हम तो यूं ही हंसी खेल में थे। तुम फ़रमाओ क्या अल्लाह तअ़ाला उस की आयतों और उस के रसूल से ठट्टा करते थे ? बहाने न बनाओ अपने ईमान के बाद तुम काफ़िर हो गए । (पारह 10 रुकू 14)

इस आयत में भी वाज़ेह तौर पर फ़रमाया गया । क़द कफ़रतुम बअ़ द ईमानिकुम— यअ़नी वह ईमान वाले और कलमा पढ़ने वाले थे लेकिन कुफ़री बात ज़बान से निकालने के सबब काफ़िर हो गए । अल्अ़याज़िबिल्लहि तअ़ाला ।

सवाल : (15) तब्लीगी जमाअत वाले मुसल्मानों से कहते हैं कि फुलां मस्जिद में अल्लाह व रसूल का ज़िक़ होगा। आप तशरीफ़ लायें तो उन्हें क्या जवाब दिया जाए ?

जवाब : (15) उन्हें यह जवाब दिया जाए कि आप लोग अल्लाह व रसूल के नाम पर मुसल्मानों को बुला कर उन्हें गुमराह व बद मज़हब बनाते हैं। इस लिए कि आप लोगों का अ़कीदा वही है जो कुफ़री अ़कीदा रखने वाले देवबन्दियों का है और मुस्लिम शरीफ़ की हदीस शरीफ़ है: उन्ज़ुरु अ़म्मन ताख़ुजू न दीनुकुम " यअ़नी जिस से दीन की बातें हासिल करो उसे देख लो (मुस्लिम ब हवाला मिशकात शरीफ़ सफ़ा 37) इस का साफ़ मतलब यह हुआ कि जो बद अ़कीदा है उस से अल्लाह व रसूल का ज़िक़र भी न सुनो कि वह तुम्हें गुमराह व बद मज़हब बना देगा। इस लिए हम आप की मज़्लिस में शरीक नहीं हो सकते ।

सवाल : (16) सुन्नी और वहाबी में क्या फ़र्क़ है ?

जवाब : (16) सुन्नी हुजूर सय्यदे अ़ालम सल्लल्लाहु त़ाला अ़लैहि वसल्लम को खुदाए त़ाला के बाद सब से बुज़रुग व बर तर मानते हैं और कुरआन मजीद की आयते करीमा " व तुअज़िज़रुहु व तुवकि़रुहु " के मुताबिक़ हर तरह से उन की त़ज़ीम व तकरीम करते हैं। और वहाबी देवबन्दी हुजूर की त़ज़ीम से इन्कार करते हैं बल्कि उन की शान में तौहीन करते हैं। उन के इल्म को शैतान व मलकलमौत के इल्म से कम बताते हैं जैसा कि उन की किताब बराहीने कातिअ सफा 51 पर है और हुजूर का इल्म बच्चों, पागलों और जानवरों जैसा ठहराते हैं। देखिए देवबन्दी की लिखी हुई किताब हिफजुल ईमान सफा 8 और हुजूर के बारे में अ़कीदा रखते हैं कि वह मर कर मिट्टी में मिल गए। कहते हैं रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। जिस का नाम मुहम्मद या अ़ली है वह किसी चीज़ का मुख़तार नहीं और नबी का दरजा बस ऐसा ही है जैसे किसी क़ौम के चौधरी का " (मुलाहिज़ा हो तक़विय्यतुल ईमान सफा 28,40,42,44,)

सवाल : (17) टी,वी के लिए क्या हुक्म है ? कुछ लोग आमदनी बढ़ाने के लिए चाय वगैरह की दूकानों पर टी,वी लगाते हैं इस तरह रोज़ी हासिल करना कैसा है और ऐसी दूकान पर चाय पीने के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब : (17) टी,वी देखना और दिखाना हराम है कि वह छोटा सिनेमा है और हराम को ज़रियह बना कर जो रोज़ी हासिल की जाती है वह ख़बीस होती है। टी वी लगी हुई चाय की दूकान से मुसलमान नफरत करें ऐसी जगह पर चाय हरगिज़ न पियें। इस दूकान का बाईकाट करें। खुदाए त़ाला का इरशाद है। "वला तरकनू इलल्लज़ी न ज़ ल मू फ त मस्सकुमुन्नार,(पारह 12 रुकू 10)

सवाल : (18) जो लोग रखने के लिए दौलत कमाते हैं हुकूकुल्लाह, हुकूकुलइबाद, और कौम व मिल्लत को भूल बैठे हैं। उन के लिए अल्लाह व रसूल का किया हुक्म है ?

जवाब : (18) जो लोग रखने के लिए दौलत कमाते हैं उसे अल्लाह के रास्तों में खर्च नहीं करते उन पर दर्दनाक अज़ाब होगा। जैसा कि खुदाए तअ़ाला का इरशाद है कि " जो लोग सोना चांदी (यअ़नी माल) जमा करते हैं और अल्लाह के रास्ते में उसे खर्च नहीं करते हैं उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुनादो जिस दिन जहन्नम की आग में वह तपाए जसयेंगे और उन से उन की पेशानियां और उन की करवटें व पीठें दागी जायेंगी (और उन से कहा जाएगा) यह वह है जो तुम ने अपने लिए जमा किया था तो अब जमा करने का मज़ा चखो "। (पारह 10 रुकू 11)

और खुदा तअ़ाला का फरमान है " वह लोग जो बखीली करते हैं उस के साथ जो अल्लाह ने उन्हें अपने फज़ल से दिया वह यह गुमान हरगिज़ न करें यह उन के लिए बेहतर है अल्कि यह उन के लिए बुरा है। उस चीज़ का क़्यामत के दिन उन के गले में (सांप बना कर) तौक़ डाला जाएगा जिस के साथ उन्होंने ने बखीली की। (पारह 2 रुकू 9)

जो लोग अल्लाह के हुकूक को भूल बैठे हैं वह तरह तरह के शदीद अज़ाब में मुब्तला किए जायेंगे। और बन्दों के हुकूक के बारे में तो बहुत सख़्त वर्डें हैं। खुदाए तअ़ाला उन्हें मुआफ नहीं फरमाएगा जब तक बन्दा न मुआफ करे। अगर वह मुआफ नहीं करेगा तो हदीस शरीफ के मुताबिक़ क़्यामत के दिन तीन पैसे की मालियत के बदले सात सौ नमाज़ बा जमाअत का सवाब देना पड़ेगा। अगर नमाज़ों का सवाब नहीं होगा तो दिगर नेकियों का सवाब देना पड़ेगा और दूसरी नेकियां भी उस के पास नहीं होगी तो हक़दार की बुराईयां उस पर लाद

दी जायेंगी और उसे जहन्नम में फेंक दिया जायेगा।
अल्अयाज़िबिल्लाहि तआला।

और जो लोग क़ौम व मिल्लत को भूल बैठे हैं वह दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त नहीं पा सकते अल्कि दोनों जहां में ऐसे ज़लील व रुसवा होंगे।

सवाल : (19) मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी वग़ैरह में सउदी इमाम के पीछे हाजियों को नमाज़ पढ़ना कैसा है ?

जवाब : (19) मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी वग़ैरह के नजदी सउदी इमाम जो कुफरी अ़कीदा रखते हैं और हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम की बारगाह के गुस्ताख़ व बे अदब हैं उन के पीछे हाजी और ग़ैर हाजी किसी को नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं। जैसा कि शरह अक़ायद नस्फी का हवाला जवाब नम्बर (4) में गुज़रा है।

सवाल : (20) झूठ, ग़ीबत, चुग़ली, गाली गलूज़, बद अहदी, बेईमानी, हसद, बुग़ज़, रयाकारी

ज़िना कारी, और सूद खोरी जैसे बुरे अफआल में जो लोग मुब्तला हों उन के लिए क्या हुक्म है ?

जवाब : (20) झूठ हराम है हदीस शरीफ में आया है " झूठ बोलना फिस्क़ व फुज़ूर है और फिस्क़ व फुज़ूर दोज़ख में ले जाता है। (मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2 सफा 326) और ग़ीबत सख़्त नाजाइज़ हराम है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया "ग़ीबत ज़िना से बदतर है किसी ने अर्ज़ ने किया या रसूलल्लाह ! ग़ीबत ज़िना से क्यों बदतर है ? फरमाया ज़िना करता है फिर (सही) तौबा करता है तो अल्लाह तआला उसे मुआफ़ फरमादेता है लेकिन ग़ीबत करने वाले को अल्लाह तआला मुआफ़ नहीं फरमाता जब तक कि उस को वह शख़्स न मुआफ़ कर दे जिस की ग़ीबत की गई हो। (मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2 सफा 415) और चुग़ली भी हराम है बुखारी व

मुस्लिम की हदीस शरीफ है "चुगुल खोर जन्नत में नहीं जायेगा (बुखारी शरीफ,जिल्द 2 सफा 895) और गाली गुलूज भी हराम है। हदीस शरीफ में है " मुसलमान को गाली देना फिस्क है (बुखारी जिल्द 2 सफा 893 मुस्लिम शरीफ,जिल्द 2 सफा 411) और यहया बिन खालिद ने कहा "यअनी जब तू किसी को देखे फहश बकने वाला बे हया है तो जान ले कि उस की असल में ख़ता है (हकाहुल मुनावी फित्तसीर) और बद अहदी भी हराम है खुदाए तअ़ाला का इरशाद है "ऐ ईमान वालो ! अपने अहद पूरे करो (पारह 6 सूरए मायदा,रुकू 1) और बे ईमानी करना हक़कुल अब्द में गिरिफ्तार होना है जो बहुत सख़्त है कि खदाए तअ़ाला उसे मुअ़ाफ नहीं फरमाएगा जब तक कि वह बन्दा न मुअ़ाफ कर दे। और हसद भी सख़्त नाजाइज़ व हराम है जो नेकियों को इस तरह खाजाता है जैसे आग लकड़ी को । जैसा कि अबू दाउद शरीफ की हदीस शरीफ है ।

और बुग़ज़ के मु त अल्लिक हदीस शरीफ में है " बुग़ज़ व अदावत दीन को मूंडने वाली है (मिशकात,सफा428)

और रया कारी अमल का सवाब बरबाद कर देती है इस लिए कि वह शिर्क अस्ग़र है जैसा कि हदीस शरीफ में है " दिखावे के लिए काम करना शिर्क अस्ग़र है (मिशकात शरीफ सफा 456) और जिना सख़्त नाजाइज़ व हराम है कि बादशाहे इस्लाम को जिना करने वाले पर हद जारी करने का हुक्म है। और सूद के मुतअल्लिक हदीस शरीफ में है " सूद का गुनाह ऐसे सत्तर गुनाहों के बराबर है जिन में सब से कम दरजा का गुनाह यह है कि मर्द अपनी मां से जिना करे। (इब्ने माजा सफा 164) सूद लेने को हलाल जानना कुफरे सरीह है और हराम जान कर एक दिरहम सूद खाना अपनी मां से 36 बार जिना करने के बराबर है। (फतावा रज़िव्या जिल्द 6 सफा 75)

जो लोग मज़कूरा बाला बुराईयों में मुब्तला हैं वह सख्त गुनहगार मुस्तहक अज़ाबे नार हैं। अल्लाह वाहिदे कहहार के अज़ाब से डरें, तौबा व इस्तेग़फ़ार करें, जिस गुनाह का तअल्लुक किसी बन्दे से है इस का तदारुक करें और फिर कभी इन गुनाहों के करीब हरगिज़ न जायें। वल्लाहु तआला अअलमु बिस्सवाब

नोट : यह सब फतवे मुफ्ती जलालुद्दीन अहमदुलअम्जदी रहमतुल्लाह अलैह दारुल इफ्ता अम्जिदिया अरशदुल उलूम ओझा गंज, ज़िला बस्ती के हैं।

सवाल (21) क्या फरमाते हैं उलमाए दीन शरण मतीन इस मसअले में कि ज़ैद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से कुछ भी ईंट या चिराग़ या कोई और चीज़ ले कर आया है। और उस की मज़ार बनाया और उस मज़ार पर लोग हाज़री देते हैं फातहा पढ़ते हैं, ईसाल करते हैं, दुआ मांगते हैं, उन्हें मना किया जाये तो कहते हैं। कि अगर हक़ नहीं तो फ़ैज़ क्यों मिलता है तो उस का जवाब क्या है, और जो हाज़री देते हैं तो हाज़री देना कैसा है, और जिस ने ऐसा अमल किया यअनी मज़ार बनाया तो उस के बारे में शरीअत का क्या हुक्म है ? तसल्ली बरख़्शा जवाब दें।

जवाब (21) अलजवाब बिऔनिल मलिकिल मुअतिल वहहवाब अल्लाहुम्मा हिदासतिल हक़ वस्सवाब:

जिस क़ब्र में कोई वली दफन है वही मज़ार है। किसी बुज़रुग के यहां से कोई भी चीज़ ला कर ज़मीन में गाड़ दें और उस का नाम मज़ार रख दें, यह नाजाईज़ है। और फर्जी क़ब्र पर हाज़री, नज़्र व नियाज़, और वहां दुआ मांगना ना जाईज़ है और मज़हबे अहले सुन्नत को बदनाम करना है, उस को मिटा देना चाहिए और बनाने वाले और वहां जाने वालों पर तौबा लाज़िम है और यह वसवसा शैतानी है कि अगर हक़ नहीं

तो फैज़ क्यों मिलता है यह बात तो बुत का पुजारी भी कह सकता है तो क्या उस की बात मान ली जायेगी,जिस की हाजत पूरी ही होने वाली थी हो गई वहां नहीं जाता तो भी हो जाती, अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है ज़य्य न लहुमुश्शैता नु अअमालहुम – शैतान बुरे कामों को लोगों की नज़र में अच्छा कर के पेश करता है। वलियल्लाह को घर में याद करो उन के वसीले से दुआ करो,उन से मदद लो हाजत पूरी होगी। वल्लाहु तआला अअलमु बिस्सवाब ।

सवाल (22) क्या फरमाते हैं उलमाए दीन शरए मतीन इस मसअले में कि साई बाबा के नाम की और उस की मूरती की मन्दिर है। अपने को मुसलमान कहलवाने वाले इस मन्दिर पर हाज़री दिए और फातेहा पढ़ी, और दुआ मांगी, तो शरीअत का क्या हुक्म है। और अगर साई बाबा के लिए दुआ की तो क्या हुक्म है, और जो मुसलमान शामिल रहे और आमीन कही तो शरीअत का क्या हुक्म है इन सब सवालों का तफसीली जवाब क्या है ?

जवाब (22)साई मुशरिक था, मन्दिर में जाकर मूरती के पास हाज़िर होना वहां दुआ मांगना,फातहा पढ़ना,मूरती की बिला शक व शुब्हा तअज़ीम करना खुला हुआ कुफ़ है। मुशरिक की मग़िफरत की दुआ करना और वह भी मरने के बाद कुफ़ है,(लाहौ ल वला कुव्व त इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम) कोई ईमान वाला मन्दिर में ही नहीं जा सकता उन सब पर तौबा और फिर से मुसलमान होना फर्ज़ है , और जो बीवी वाला हो उस पर नए मेहर के साथ दोबारा उसी बीवी के साथ निकाह करना भी फर्ज़ है वरना हमबिस्तरी खालिस जिना कारी होगी और औलाद वल्दुज़िज़ना (हरामी) होगी। अल्लाह तआला हिदायत दे (आमीन)

सवाल (23)क्या फरमाते हैं उलमाए दीन शरए मतीन इस मसअले में कि ज़ैद एक सुन्नी मस्जिद में इमाम है, ज़ैद को तअज़ियादारों

से या फर्जी कब्रों पर जाने वालों से कैसे तअल्लुकात रखने चाहिए ?

जवाब (23) उन से तअल्लुक रखने में उन के हिदायत की उम्मीद हो तो तअल्लुक रखना जाइज है वरना उन से दूरी बेहतर है।

सवाल (24) क्या फरमाते हैं उलमाए दीन शरए मतीन इस मसअले में कि चन्द लोग मुसलमान हुजूर ताजुल औलिया हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जनम दिन जुलूस की शकल में और हज़रत का फोटू जुलूस में उठाए हुए चलना और केक काटना,इस तरह किसी बुज़रुग का यौमे पैदाईश मनाना कैसा है ?

जवाब (24) यौमे विलादत मनाना जाइज है,फोटू हराम है,केक काटना अंग्रेज़ों का तरीका है,उस से बचें, किसी भी पाक चीज़ पर फातेहा ईसाले सवाब जाइज है।

सवाल (25) क्या फरमाते हैं उलमाए दीन शरए मतीन इस मसअले में कि सन्दल जो बुज़रुगों का निकालते हैं,ढोल बाजे के साथ उस के बारे में शरीअत का क्या हुक्म है ?

जवाब (25) ढोल बाजे नाजाइज हैं।

हज़रत अल्लामा मौलाना मुफती अन्सार ख़ान कादरी रज़वी(छिन्दवाड़ा) मध्य प्रदेश अलजामियतुल ग़ौसिया शहर छिन्दवाड़ा 9425896733

